



2026:AHC:62309

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2577 सन् 2026

राजीव @ राजू @ राजीव सिंह भगौर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, गृह सचिव के माध्यम से, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं 3 अन्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मयंक सिंह, राम दुलारे सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, कुलदीप सिंह चाहर

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रदीप कुमार मिश्रा एवं श्री मयंक सिंह की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय सरन, श्री कुलदीप सिंह चाहर, सूचनादाता के लिए विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुरेन्द्र सिंह, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, मामला अपराध संख्या 149/2025, धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना - मलपुरा, जिला आगरा में, विचारण की लंबितता के दौरान आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ, आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है।
3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। उनका तर्क है कि दहेज की माँग करने तथा मृतका को उसके पिता की कृषि भूमि आवेदक और अन्य अभियुक्तों के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु विवश करने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदक मृतका का देवर (जेठ) है। सह-अभियुक्त शांति (सास) और बच्चू सिंह (ससुर) को जाँच के दौरान अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी तथा आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि सह-अभियुक्त, मृतका के पति को, जमानत आवेदन संख्या 28731/2025 में इस न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा दिनांक 22.08.2025 के आदेश द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। मृतका की मृत्यु आत्महत्या के परिणामस्वरूप हुई है तथा आवेदक ने उक्त आत्महत्या को दुष्प्रेरित नहीं किया था। आवेदक के विरुद्ध कोई पूर्व आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

4. सूचक के विद्वान अधिवक्ता, दूसरी ओर, यह तर्क देते हैं कि आवेदक को उसकी मृत्यु से ठीक पहले मृतका से दहेज की माँग करने तथा उसे उत्पीड़ित करने की विशेष भूमिका सौंपी गई है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई है। उसे उत्पीड़न और क्रूरता का लगातार शिकार बनाया गया जिसके लिए आवेदक भी उत्तरदायी है। आवेदक को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 12539/2025 में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था तथा इस न्यायालय से अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक ने साक्षियों को धमकी देना प्रारंभ किया, जिसके लिए आवेदक और अन्य के विरुद्ध मामला अपराध संख्या 320/2025, धारा 115(2), 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। सत्र न्यायाधीश और इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए गए सह-अभियुक्तों का मामला भिन्न है तथा वे मामला अपराध संख्या 320/2025 में संलिप्त नहीं हैं, जिसमें केवल आवेदक और एक सह-अभियुक्त आयुष, जो आवेदक का पुत्र है, अज्ञात व्यक्तियों के साथ नामजद हैं। उनका तर्क है कि आवेदक ने धारा 528 बी.एन.एस. संख्या 49179/2025 के अंतर्गत दिनांक 21.11.2025 के विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था तथा इस न्यायालय ने आवेदक की यह प्रार्थना दर्ज करते हुए कि वह आवेदन को दबाना नहीं चाहता, आवेदक को उपस्थित होने तथा नियमित जमानत आवेदन/आदेश की वापसी हेतु आवेदन दाखिल करने का अवसर दिया था, परन्तु एक बार जब आवेदक के अनुरोध पर ऐसी प्रार्थना स्वीकार की गई, आवेदक ने इसका अनुपालन नहीं किया और इस न्यायालय द्वारा नियत तिथि के पाँच दिन पश्चात् यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन का समर्थन किया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7. आवेदक मृतका का जेठ बताया जाता है। आवेदक के विरुद्ध तथा सह-अभियुक्तों के विरुद्ध, जो मृतका की सास और ससुर हैं, आरोप प्रकृति में समान प्रतीत होते हैं। आवेदक को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 12539/2025 में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। इस न्यायालय के मत में, उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा नियमित अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत प्राप्त करने हेतु उपस्थित होने की की गई प्रार्थना मात्र से आवेदक को अग्रिम जमानत माँगने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जो उसका वैधानिक अधिकार है। अग्रिम जमानत को दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है, तथापि केवल इस कारण से कि आवेदक ने धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत किसी अन्य आवेदन में इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की थी कि वह संबंधित न्यायालय से जमानत माँगेगा या आदेश की वापसी हेतु आवेदन करेगा, उसका अग्रिम जमानत माँगने का अधिकार समाप्त नहीं होगा। यह न्यायालय, तथापि, इस न्यायालय की कार्यवाहियों में इस प्रकार की प्रथा को अपनाए जाने को अपनी स्वीकृति नहीं देता। तथापि, वर्तमान मामले में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन विचारणीय होगा क्योंकि आवेदक को अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने का वैधानिक अधिकार है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, मृतका के ससुर और सास को, सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 03.02.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का मामला भी इसी प्रकार का है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा आवेदक के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामला अभी जाँच के अधीन है तथा उसमें आरोपित अपराधों के लिए अधिकतम सात वर्ष के कारावास का दंड विहित है।

8. उपरोक्त विवेचित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

9. उपर्युक्त के मद्देनजर, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आवेदक - राजीव @ राजू @ राजीव सिंह भगौर की गिरफ्तारी की दशा में, उसे तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए वह व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान राशि की, संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक/संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद पर प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक जब भी पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक हो, पूछताछ हेतु स्वयं उपलब्ध कराएगा;
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए;
- (iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- (iv) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अभिमत केवल प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के विनिश्चय हेतु है और प्रकरण के गुण-दोष पर मत नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

25 मार्च, 2026

ए. पांडेय

Translated Version. Not For Legal Use.